ऑन लाईन नं. RCMS 2025/104

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 28/2025

1. फकीरदास पुत्र वीरदास जाति बैरागी निवासी वार्ड नम्बर 06, राजपुरा , चक 46 आर.बी. (बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बजरंग लाल पुत्र वीरदास जाति बैरागी निवासी वार्ड नम्बर 06, राजपुरा , चक 46 आर.बी. (बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. जसराम पुत्र नारायण दास जाति बैरागी निवासी वार्ड नम्बर 08, राजपुरा , चक 46 आर.बी. (बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कालूराम पुत्र दानाराम जाति बैरागी निवासी वार्ड नम्बर 05, राजपुरा , चक 46 आर. बी. (बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. बलवन्त राम फकीरदास जाति बैरागी निवासी वार्ड नम्बर 06, राजपुरा , चक 46 आर.बी. (बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत राजपुरा, पंचायत समिति पदमपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा 46 आर.बी.(बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राजपुरा 46 आर.बी.(बी) तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. अको देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेहरा निवासी 46 आर.बी. (बी)।
4. बजरंग दास पुत्र बीरबल दास निवासी 46 आर.बी. (बी)।
5. सहीराम पुत्र बजरंग दास निवासी 46 आर.बी. (बी)।
6. गोपीराम पुत्र बजरंग दास निवासी 46 आर.बी. (बी)।
7. राजेश्वरी पत्नी बजरंग दास निवासी 46 आर.बी. (बी) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्तागण

याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम0

उपस्थित :

1. श्री गुरचरण सिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी –03
3. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्तागण संख्या–4,5,6,7
4. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता गैरगिरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः–27.02.2026

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :

1. मान्यवर जी याचीगण का परिवार पैतृक रूप से गांव राजपुरा चक 46 आर.बी.(बी) का निवासी है। याचीगण के पूर्वज भी इसी गांव के निवासी रहे है और याचीगण के इसी गांव में राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड बने हुये है। याचीगण गांव के करदाता है व इसके पूर्वज गांव के करदाता रहे है व गांव की हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाते रहे है। याचीगण जो कि बैरागी समाज से है, याचीगण के पूर्वज चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 व 20 कुल दो बीघा में स्थित शमशान भूमि का पुराने समय से इस्तेमाल दाह संस्कार व बच्चों के क्रिया कर्म करने के रूप में करते आ रहे थे। इस शमशान भूमि का जो कि आबादी भूमि राजपुरा चक 46 आर.बी. (बी) के मुरब्बा नम्बर 7 के लिा नम्बर 11 व 20 में स्थित है, वर्ष 1981 में तत्कालीन सरपंच श्री नत्थूराम द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी कर बैरागी समाज के आवेदन पर दिनांक 17.10.1981 को बैरागी शमशान भूमि राजपुरा के नाम से निःशुल्क पट्टा काट कर दिया जिस पर उस समय के सचिव के भी हस्ताक्षर अंकित है। 50–60 वर्षों से इस भूमि का याचीगण व उसके पूर्वज शमशान भूमि के रूप में उपभोग व उपयोग शांतिपूर्वक रूप से करते आ रहे है। पूर्व में इस भूमि की कच्ची चारदीवारी भी की गई थी जो बरसात के कारण धीरे–धीरे गिर गई अब मौका पर झाड़ियों आदि से बाड़ की हुई है और इस शमशान घाट की भूमि पर करीब 10–15 छोटी बड़ी छतरियां याचीगण के पूर्वजों की बनी हुई है और पेड़ पौधे भी लगे हुये है। पट्टा की फोटोप्रति संलग्न याचिका है।
2. यह कि पिछले कई दिनों से अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा याचीगण की इस शमशान घाट की इस भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोगों को कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही है और अनाधिकृत रूप से आबादी भूमि पर गलत नक्शा बनाया जाकर लोगों को बैरागी शमशान भूमि पर बसाने की कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यहां कोई शमशान घाट नहीं है। याचीगण के पूर्वजों की छतरियों से भी छेड़छाड़ की जा रही है। याची संख्या–5 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2020 को पेश किया गया और बताया गया कि अयाचीगण व कुछ असामाजिक तथ्यों द्वारा गांव में बैरागी शमशान घाट की भूमि पर लगे पेड़ पोधों को उखाड़ कर गांव में अशान्ति का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसके संबंध में जांच जारी है आवंटित बैरागी शमशान घाट की भूमि पर बनी छतरियों आदि की फोटो सलंग्न है।
3. यह कि अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा मिलीभगत कर पंचायत के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि बैरागी शमशान भूमि के नाम से कोई भी आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है इसके लिये अयाची संख्या

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1 व 2 द्वारा वर्ष 2008 में आबादी भूमि के मुरब्बा नम्बर 7 के 25 बीघा के तैयारशुदा फर्जी नक्शा का सहारा लिया जा रहा है और इस नक्शा के आधार पर लोगो को गलत रूप से अयाचीगण के समाज के नाम से आवंटित बैरागी शमशान घाट की भूमि पर गलत रूप से लोगों को भूखण्ड आवंटित करके दिये जा रहे है, जबकि याचीगण के समाज को वर्ष 17.10.1981 को चक 46 आरबी (बी) राजपुरा के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 व 20 में दो बीघा शमशान की भूमि के पट्टा सम्बन्धी रिकॉर्ड व पुराने आबादी नक्शा को खुर्द बुर्द कर गायब किया जा रहा है, जबकि पूर्व सरपंच नत्थू राम व सचिव जो आज भी मौजूद है जिन्होने बताया है कि पूर्ण प्रकिया का पालन करके ही बैरागी शमशान भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया था जिस पर कई अन्य समाज के लोग भी दाह संस्कार की प्रकिया भी सम्पन्न करते आ रहे है, इस प्रकार अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा बैरागी शमशान भूमि के नाम से आवंटित पट्टा की रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द किया जा रहा है।

4. यह कि पूर्व में इसी जगह पर अन्य कई लोगो को भी पूर्व सरपंच नत्थूराम द्वारा आबादी भूमि का आवंटन किया गया था जिसमें देवीलाल व शंकर लाल पुत्र नारायण दास को 250 रूपये की राशि जमा करवाकर मुरब्बा नम्बर 7 की भूमि पर दिनांक 02.09.1981 को आवंटन किया गया है जो उस समय के नक्शा के आधार पर किया गया था जिस नक्शा को अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सांठ गांठ करके गायब कर दिया गया ताकि याचीगण के समाज के शमशान घाट की भूमि के आवंटन को फर्जी साबित किया जा सके। पट्टा की फोटो प्रति सलंग्न है।

5. यह कि याचीगण द्वारा अयाची संख्या 1 व 2 से इस भूमि पर आवंटित समस्त आवंटन का रिकॉर्ड मांगा गया था जो उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके बाद लोक सूचना अधिकारी पदमपुर के समक्ष याचीगण द्वारा उक्त सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन दिया गया है जिसके द्वारा अयाची संख्या–1 को निर्देश दिया गया है कि रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जावें। अयाची संख्या–1 से सम्पर्क करने पर उसने बताया कि हम तो अपनी मर्जी से रिकॉर्ड देगें। इस प्रकार अयाची संख्या–1 की मंशा याचीगण को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की नहीं है।

(5क) यह कि अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से आवंटित पट्टे कमशः दिनांक 18.10.2007 को अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से मुरब्बा नम्बर 7 के मुताबिक नक्शा आवंटित अहाता संख्या–88 साईज 45X27 फुट जो 3215 रूपये अप्रार्थीया संख्या–3 को आवंटित करना बताया है व दिनांक 28.10.2007 को मुरब्बा नम्बर 7 में अप्रार्थी संख्या–3 के पति मृतक ओमप्रकाश को अहाता संख्या 87, कुल 3215 रूपये में आवंटित करना बताया है। दोहरे आवंटन व बिना पंचायत राज0 अधिनियम 1994 पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

5(ख) यह कि अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के पक्ष में चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 7 में आवंटित अहाता संख्या 117, 118, 119, 120 प्रार्थीगण को आवंटित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बेरागी शमशान घाट की भूमि दोहरे आवंटन के कारण व एक ही व्यक्ति के परिवार को एक ही समय में दिनांक 05.08.2009 को पंचायत राज0 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत चार भूखण्ड आंवटित करने के कारण सरपंच द्वारा अपनेपद का दुरूपयोग किया गया। पट्टा होने के कारण व पंचायत राज0 अधिनिमय 1995 व पंचायत राज अधिनियम 1996 विपरीत आवंटित होने के कारण दिनांक 05.08.2009 अप्रार्थी संख्या– 4 ता 7 के पक्ष में किया गया। अहाता संख्या 117, 118, 119, 120 का आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि अयाचीगण के कब्जा में उक्त आवंटन से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड है, जिसकी पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत जांच करने की शक्तियां श्रीमान न्यायालय के पास है जांच होने पर याचीगण को न्याय प्राप्त होगा, इसलिए चक 46 आर.बी. (बी) राजपुरा के मुरब्बा नम्बर 7 के 25 बीघा रकबा आबादी भूमि का रिकॉर्ड मंगवाया जाकर याचीगण के समाज बैरागी शमशान भूमि अन्य लोगो का आवंटित पट्टो व नक्शा की निष्पक्ष जांच की जावें व तब तक मौका पर रिकॉर्ड व कब्जा की यथास्थिति का आदेश दिया जाना न्यायहित में होगा क्योंकि अयाचीगण रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने में लगे हुये है।

7. यह कि अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा लोगो को गलत रूप से याचीगण की शमशान भूमि की जगह के पट्टे आवंटित करके दिये जा रहे है और लोगों द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचीगण के समाज को आवंटित उक्त शमशान घाट की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए याचीगण द्वारा एक समाज के हितो की सुरक्षा के लिये संयुक्त रूप से यह याचिका पेश की जा रही है अब कुछ दिनों में दिपावली की छुटियों का फायदा उठाकर मौका पर अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को काबिज कर दिया जाता है तो बैरागी समाज व अन्य समाज के लोग जो इस शमशान भूमि का इस्तेमाल दाह संस्कार व अन्य किया कमो के लिये करते आ रहे है, भंयकर रोष पैदा होगा और किसी पूर्वज की छतरियों को नुकसान कारित होता है तो गांव में शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। याचीगण द्वारा प्रस्तुत मौका की फोटो व पट्टा दिनांक 17.10.1981 बैरागी समाज शमशान भूमि से मामला प्रथम दृष्टया याचीगण के पक्ष में प्रमाणित है इस भूमि पर याचीगण का पूर्वजो के समय से 50–60 सालो का कब्जा चला आ रहा है जिससे याचीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सुविधा का संतुलन भी याचीगण के पक्ष में है अगर अयाचीगण द्वारा लोगो को उक्त भूमि पर काबिज करवा दिया जाता है तो याचीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

8. यह कि उक्त याचिका धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो कि श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

अतः याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचिका स्वीकार की जाकर स्थगन आदेश अयाचीगण के विरूद्व इस आश्य का पारित किया जावें कि अयाचीगण दिनांक 17.10.1981 को आबादी भूमि 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

20 के दो बीघा रकबा जो कि बैरागी शमशान घाट का आवंटित है को अन्यथा किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को रहन, व्ययन, विकय, आवंटन आदि नहीं करते तथा अयाचीगण से चक 46 आरबी (बी) मुरब्बा नम्बर 7 के 25 बीघा में आवंटन से सम्बन्धित रिकॉर्ड , नक्शा आबादी, कार्यवाही रजिस्टर, खसरा रजि. पट्टा बही, रोकड आदि वर्ष 1980 से लेकर तलब किया जावें व याचीगण के आवंटन को वैध घोषित किया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

याचीगण की ओर से लिखित बहस निम्नप्रकार से है :—

1. यह कि याचीगण का परिवार पैतृक रूप से गांव राजपुरा चक 46 आर.बी.(बी) का निवासी है। याचीगण के पूर्वज भी इसी गांव के निवासी रहे है और याचीगण के इसी गांव में राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड बने हुये है। याचीगण गांव के करदाता है व इसके पूर्वज गांव के करदाता रहे है व गांव की हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाते रहे है। याचीगण जो कि बैरागी समाज से है, याचीगण के पूर्वज चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 व 20 कुल दो बीघा में स्थित शमशान भूमि का पुराने समय से इस्तेमाल दाह संस्कार व बच्चों के क्रिया कम करने के रूप में करते आ रहे थे। इस शमशान भूमि का जो कि आबादी भूमि राजपुरा चक 46 आर.बी. (बी) के मुरब्बा नम्बर 7 के लिा नम्बर 11 व 20 में स्थित है, वर्ष 1981 में तत्कालीन सरपंच श्री नत्थूराम द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी कर बैरागी समाज के आवेदन पर दिनांक 17.10.1981 को बैरागी शमशान भूमि राजपुरा के नाम से निःशुल्क पट्टा काट कर दिया जिस पर उस समय के सचिव के भी हस्ताक्षर अंकित है। 50—60 वर्षो से इस भूमि का याचीगण व उसके पर्वूज शमशान भूमि के रूप में उपभोग व उपयोग शांतिपूर्वक रूप से करते आ रहे है। पूर्व में इस भूमि की कच्ची चारदीवारी भी की गई थी जो बरसात के कारण धीरे—धीरे गिर गई अब मौका पर झाडियों आदि से बाड़ की हुई है और इस शमशान घाट की भूमि पर करीब 10—15 छोटी बड़ी छतरियां याचीगण के पूर्वजों की बनी हुई है और पेड़ पौधे भी लगे हुये है। पट्टा की फोटोप्रति सलंग्न याचिका है।
2. मान्यवर जी पिछले कई दिनों से अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा याचीगण की इस शमशान घाट की इस भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोगों को कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही है और अनाधिकृत रूप से आबादी भूमि पर गलत नक्शा बनाया जाकर लोगों को बैरागी शमशान भूमि पर बसाने की कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यहां कोई शमशान घाट नहीं है। याचीगण के पूर्वजों की छतरियों से भी छेड़छाड की जा रही है। याची संख्या—5 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2020 को पेश किया

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गया और बताया गया कि अयाचीगण व कुछ असामाजिक तथ्यों द्वारा गावं में बैरागी शमशान घाट की भूमि पर लगे पेड़ पोधों को उखाड़ कर गांव में अशान्ति का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसके संबंध में जांच जारी है आवंटित बैरागी शमशान घाट की भूमि पर बनी छतरियों आदि की फोटो सलंग्न है।

3. मान्यवर जी अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा मिलीभगत कर पंचायत के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द कर दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि बैरागी शमशान भूमि के नाम से कोई भी आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है इसके लिये अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष 2008 में आबादी भूमि के मुरब्बा नम्बर 7 के 25 बीघा के तैयारशुदा फर्जी नक्शा का सहारा लिया जा रहा है और इस नक्शा के आधार पर लोगो को गलत रूप से अयाचीगण के समाज के नाम से आवंटित बैरागी शमशान घाट की भूमि पर गलत रूप से लोगों को भूखण्ड आवंटित करके दिये जा रहे है, जबकि याचीगण के समाज को वर्ष 17.10.1981 को चक 46 आरबी (बी) राजपुरा के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 व 20 में दो बीघा शमशान की भूमि के पट्टा सम्बन्धी रिकॉर्ड व पुराने आबादी नक्शा को खुर्द बुर्द कर गायब किया जा रहा है, जबकि पूर्व सरपंच नत्थू राम व सचिव जो आज भी मौजूद है जिन्होने बताया है कि पूर्ण प्रकिया का पालन करके ही बैरागी शमशान भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया था जिस पर कई अन्य समाज के लोग भी दाह संस्कार की प्रकिया भी सम्पन्न करते आ रहे है, इस प्रकार अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा बैरागी शमशान भूमि के नाम से आवंटित पट्टा की रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय आरएलडब्ल्यू 2012(2) राजस्थान पेज 742 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, सार्वजनिकहित में कितना भी आवंटित किया जा सकता है जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐतराज किया गया है, किन्तु ऐसी कोई नजीर या पंचायत राज. अधिनियम 1953 का ऐसा कोई प्रावधान की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 2 बीघा तक आवंटन ग्राम पंचायत का सार्वजनिक हित में नहीं किया जा सकता, जबकि बैरागी शमशान घाट के लिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से आवंटन किया गया है जो पूर्ण रूप से वैध है और पुष्टि योग्य है।

4. मान्यवर जी पूर्व में इसी जगह पर अन्य कई लोगो को भी पूर्व सरपंच नत्थूराम द्वारा आबादी भूमि का आवंटन किया गया था जिसमें देवीलाल व शंकर लाल पुत्र नारायण दास को 250 रूपये की राशि जमा करवाकर मुरब्बा नम्बर 7 की भूमि पर दिनांक 02.09.1981 को आवंटन किया गया है जो उस समय के नक्शा के आधार पर किया गया था जिस नक्शा को अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सांठ गांठ करके गायब कर दिया गया ताकि याचीगण के समाज के शमशान घाट की भूमि के आवंटन को फर्जी साबित किया जा सके। पट्टा की फोटो प्रति सलंग्न है।

5. मान्यवर जी यह कि याचीगण द्वारा अयाची संख्या 1 व 2 से इस भूमि पर आवंटित समस्त आवंटन का रिकॉर्ड मांगा गया था जो उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिसके

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बाद लोक सूचना अधिकारी पदमपुर के समक्ष याचीगण द्वारा उक्त सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन दिया गया है जिसके द्वारा अयाची संख्या–1 को निर्देश दिया गया है कि रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जावें। अयाची संख्या–1 से सम्पर्क करने पर उसने बताया कि हम तो अपनी मर्जी से रिकॉर्ड देगें। इस प्रकार अयाची संख्या–1 की मंशा याचीगण को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की नहीं है।

6. मान्यवर जी अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से आवंटित पट्टे क्रमशः दिनांक 18.10.2007 को अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से मुरब्बा नम्बर 7 के मुताबिक नक्शा आवंटित अहाता संख्या–88 साईज 45X27 फुट जो 3215 रूपये अप्रार्थीया संख्या–3 को आवंटित करना बताया है व दिनांक 28.10.2007 को मुरब्बा नम्बर 7 में अप्रार्थी संख्या–3 के पति मृतक ओमप्रकाश को अहाता संख्या 87, कुल 3215 रूपये में आवंटित करना बताया है। दोहरे आवंटन व बिना पंचायत राज0 अधिनियम 1994 पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। कभी भी ग्राम पंचायत द्वारा एक ही परिवार के दो व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा पति व पत्नी के नाम से दिनांक 28.10. 2007 को भूखण्ड संख्या 87 व 88 का आवंटन गलत रूप से किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के पक्ष में चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 7 में आवंटित अहाता संख्या 117, 118, 119, 120 प्रार्थीगण को आवंटित वेरागी शमशान घाट की भूमि दोहरे आवंटन के कारण व एक ही व्यक्ति के परिवार को एक ही समय में दिनांक 05.08.2009 को पंचायत राज0 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत चार भूखण्ड आंवटित करने के कारण सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया। पट्टा होने के कारण व पंचायत राज0 अधिनिगय 1995 व पंचायत राज अधिनियम 1996 विपरीत आवंटित होने के कारण दिनांक 05.08.2009 अप्रार्थी संख्या– 4 ता 7 के पक्ष में किया गया। अहाता संख्या 117, 118, 119, 120 का आवंटन खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि परिवार के मुख्य बजरंग दास व उसके पुत्र सही राम, गोपी राम व पत्नी राजेश्वरी को एक ही दिन दिनांक 05.08.2009 को चार भूखण्डो का आवंटन कर दिया गया है जबकि एक ही परिवार को एक से अधिक भूखण्डों का आवंटन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय :–

1. आर.एल.डब्लयु 2015 (2) पेज– 1431
2. डी.एन.जे. 2015 (1) पेज–443

उक्त दोनो निर्णयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक ही समय में परिवार के एक से अधिक समय से किया गया आवंटन विधिविरूद्ध है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा बैरागी शमशान भूमि के नाम आवंटित पट्टा दिनांक 17.10.1981 को निरस्त करवाये बिना मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 व 20 में आवंटन के लिये पुनः नक्शा तैयार किया गया है जबकि ग्राम

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत ऐसा आवंटन करने के लिये अधिकृत नहीं थी और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत रूप से कोई नक्शा पास करवाया गया है, फिर भी ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा प्रतिवादी संख्या– 3 ता 7 के पक्ष में दिनांक 28.10.2007 व दिनांक 05.08.2009 को किया गया आवंटन व इस सम्बन्ध में आवंटन की गई समस्त कार्यवाही जो व्यक्तिगत हित में की गई है निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि प्रथमतया तो उक्त जगह जोहड़पायतन की होना जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है और दूसरे पूर्व के आवंटन को निरस्त करवायाजाना आवंटन किया गया जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय उक्त प्रकरण के तथ्यों पर प्रतिपादित होता है।

1. आर.एल.डब्लयु 2010 वैल्युम –4 पेज–3575

   में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि पहला आवंटन रदद् किये बिना उसी स्थान पर किया गया है, दूसरा आवंटन अवैध है और दूसरा आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

इतना ही नहीं अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 द्वारा मौका पर अपने कब्जा के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और निगरानीकर्ता द्वारा मौका पर अपने कब्जा के सम्बन्ध में फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत किये है व पूर्व सरपंच नत्थुराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निगरानीकर्ता का मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 व 20 पर कब्जा पूर्ण रूप से साबित है इसलिये भी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है और निगरानीकर्ता का आवंटन पुष्टि योग्य है।

7. मान्यवर जी अयाचीगण के कब्जा में उक्त आवंटन से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड है, जिसकी पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत जांच करने की शाक्तियां श्रीमान न्यायालय के पास है जांच होने पर याचीगण को न्याय प्राप्त होगा , इसलिए चक 46 आर.बी. (बी) राजपुरा के मुरब्बा नम्बर 7 के 25 बीघा रकबा आबादी भूमि का रिकॉर्ड मंगवाया जाकर याचीगण के समाज बैरागी शमशान भूमि अन्य लोगो का आवंटित पट्टो व नक्शा की निष्पक्ष जांच की जावें व तब तक मौका पर रिकॉर्ड व कब्जा की यथास्थिति का आदेश दिया जाना न्यायहित में होगा क्योंकि अयाचीगण रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने में लगे हुये है।

8. मान्यवर जी अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा लोगो को गलत रूप से याचीगण की शमशान भूमि की जगह के पट्टे आवंटित करके दिये जा रहे है और लोगों द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचीगण के समाज को आवंटित उक्त शमशान घाट की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए याचीगण द्वारा एक समाज के हितो की सुरक्षा के लिये संयुक्त रूप से यह याचिका पेश की जा रही है अब कुछ दिनों में दिपावली की छुटिटयों का फायदा उठाकर मौका पर अयाची संख्या 1 व 2 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को काबिज कर दिया जाता है तो बैरागी समाज व अन्य समाज के लोग जो इस शमशान भूमि का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इस्तेमाल दाह संस्कार व अन्य किया कर्मो के लिये करते आ रहे है, भयंकर रोष पैदा होगा और किसी पूर्वज की छतरियों को नुकसान कारित होता है तो गांव में शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। याचीगण द्वारा प्रस्तुत मौका की फोटो व पट्टा दिनांक 17.10.1981 बैरागी समाज शमशान भूमि से मामला प्रथम दृष्टया याचीगण के पक्ष मे प्रमाणित है इस भूमि पर याचीगण का पूर्वजो के समय से 50-60 सालो का कब्जा चला आ रहा है जिससे याचीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सुविधा का संतुलन भी याचीगण के पक्ष में है अगर अयाचीगण द्वारा लोगो को उक्त भूमि पर काबिज करवा दिया जाता है तो याचीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। मौका से निगरानीकर्ता का कब्जा हटाया जाता है तो ना पूरा होने वाला नुकसान होगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय आर.एल. डब्ल्यु 2006 वोल्युम-1 राजस्थान पेज-56 राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया कि 22 साल बाद बेदखल करना न्याय संगत नहीं होगा जबकि निगरानीकर्ता का कब्जा 45 साल पुराना है जिसे बेदखल करना न्यायहित में नहीं होगा। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के पट्टा का रिकॉर्ड या उस समय का कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये यह क्यास नहीं लगाया जा सकता कि निगरानीकर्ता का पट्टा बिना पंचायत के रिकॉर्ड के ग्राम पंचायत से जारी ही ना किया गया हो क्योंकि पूर्व सरपंच द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में अपना सशपथ कथन न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

9. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा जिस पट्टा दिनांक 17.10.1981 के बारे में पुष्टि चाही गई है उसको कभी भी निरस्त नहीं किया गया और ना ही इस पट्टा के सम्बन्ध में कोई शिकायत, निगरानी सरपंच, वार्ड पंच या गांव के अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि बैरागी शमशान भूमि के नाम से जारी पट्टा पूर्ण रूप से वैध है व उस पर बैरागी समाज का सुस्थापित कब्जा है और छतरियां बनी हुई है।

10. यह कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के नाम जारी पट्टे प्रथमतया ही बाद में काटे हुये प्रतीत होते है क्योंकि पट्टा 2009 की क्रम संख्या 1 ता 14 में 2009 में काटे गये पट्टे है व क्रम संख्या 15 से 20 वर्ष 2008 में काटे गये है और उसके बाद भी जो पट्टे काटे गये है वह बाद की तारीखों में काटे गये है और खसरा रजिस्टर वर्ष 2007 की क्रम संख्या 41 से 42 में कटिंग करके बैरागी भूमि को हटाया गया है जो रजिस्टर को देखने से स्पष्ट है कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को पूर्व की तारीखों में पट्टे जारी करके दिये है और निगरानीकर्ताओं के पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड को ग्राम पंचायत द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया गया है।

11. यह कि जिला परिषद श्रीगंगानगर की रिपोर्ट जो अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 द्वारा पेश की गई है वह बैरागी शमशान भूमि से सम्बन्धित नहीं है यह रिपोर्ट बरसाती पानी के भराव से सम्बन्ध है जिसका इस प्रकरण से कोई वास्ता नहीं है और ना ही ऐसी कोई जांच किसी अधिकारी द्वारा बैरागी शमशान भूमि के सम्बन्ध में की गई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है। वैरागी शमशान भूमि के सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा रिपोर्ट क्रमांक 329 दिनांक 01.02.2023 श्रीमान जी के न्यायालय में पेश की गई थी, जो पत्रावली में सलंग्न है, जिससे वैरागी शमशान भूमि पर वैरागी समाज की तारबंदी व पौधारोपण करना व छतरियां बनी होना साबित होता है। इसलिये भी निगरानीकर्ता के हक में पट्टा पुष्टि योग्य है।

12. यह कि अप्रार्थी सख्या 3 ता 7 के पक्ष में जारी पट्टो के विरूद्व निगरानीकर्ताओं के द्वारा तुरन्त ऐतराज पेश किया गया है जो अन्दर गियाद है। अवैध आवंटन के विरूद्व कभी भी निगरानी पेश की जा सकती है जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय का नियमन निर्णय महत्वपूर्ण है।

आर.एल.डब्ल्यु 2018 (3) पसेज 2523 राजस्थान जिसमें अभी निर्धारित किया गया है। अवैध आदेश के विरूद्व निगरानी की कोई परिसीमा नहीं है। अवैध आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचिका स्वीकार की जाकर स्थगन आदेश अयाचीगण के विरूद्व इस आश्य का पारित किया जावें कि अयाचीगण दिनांक 17.10.1981 को आबादी भूमि 46 आर.बी. (बी) के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 व 20 के दो बीघा रकबा जो कि बैरागी शमशान घाट का आवंटित है को अन्यथा किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को रहन, व्ययन, विक्रय, आवंटन आदि नहीं करें और जारी पट्टा की पुष्टि की जावे और चक 46 आरबी (बी) मुरब्बा नम्बर 7 के किला नमबर 11 व 20 में याचीगण के आवंटन को वैध घोषित किया जावें व अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता अक्को देवी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि:—

1. उपरोक्त अनवान की निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष इन तथ्यो के साथ पेश की कि निगरानीकर्तागण बैरागी समाज से है और बैरागी समाज की शमशान भूमि हेतु ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा चक 46 आर बी बी के मुरब्बा नं. 07 के किला नं. 11 व 20 की कुल 02 बीघा भूमि का पट्टा दिनांक 17.10.1981 को तत्कालीन सरपंच द्वारा निःशुल्क काट कर दिया और उक्त स्थान का उपयोग बैरागी समाज के लोगों द्वारा मृतक व्यक्तियों के दाह—संस्कार व बच्चों के क्रियाकर्म आदि करने के लिए किया जाता रहा है तथा छत्रियां बनी हुई है। इस कारण उपरोक्त अनुतोष चाहा कि जो रकबा बैरागी समाज शमशान घाट को आवंटित है को अन्यथा किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को रहन, विक्रय, आवंटन आदि न करें तथा याचीगण के आवंटन को वैध घोषित किया जाये। उपरोक्त याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात् गैर निगरानीकर्तागण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनें तथा पंचायत से रिकार्ड तलब किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि सर्वप्रथम तो यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम पंचायत को 2 बीघा कृषि भूमि आवंटित करने का अधिकार पंचायत अधिनियम के तहत प्राप्त ही नहीं है। द्वितीयः यहां यह अंकित करना भी आवश्यक है कि शमशान हेतु भूमि गैर–मुमकिन होती है और भूमि को मुमकिन से गैर मुमकिन करने का अधिकार मात्र तहसीलदार एवं जिला कलक्टर को है, इसके अलावा किसी अन्य को नहीं है। इस प्रकार से जब पंचायत को भूमि आवंटन करने का अधिकार ही नहीं है तो जिस तथाकथित पट्टे की फोटोप्रति निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत की गई है, वह पट्टा भी बिना अधिकार के होने के कारण प्रभावहीन है। इसके अलावा यहां यह अंकित करना भी आवश्यक है कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा पंचायत से रिकॉर्ड मंगवाया गया और पंचायत द्वारा भी यह कहा गया कि तथाकथित पट्टे के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं है, न ही पंचायत रिकार्ड में उक्त पट्टे का विवरण पट्टा बुक में है और न ही पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव ही पारित किया हुआ है। इससे यह प्रमाणित है कि यह पट्टा पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टे की कूटरचना कर वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है और ऐसे दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ता कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. यहां यह अंकित करना भी आवश्यक है कि गैर निगरानीकर्तागण व गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उक्त शमशान घाट की शिकायतें की गई जिसके सम्बन्ध में जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई जिसमें अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर एवं सहायक अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सम्बन्धित कलस्टर) पंचायत समिति पदमपुर को नियुक्त किया गया जिनके द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का की उपस्थिति में की गई और उक्त जांच रिपोर्ट में भी जांच कमेटी द्वारा कही यह अंकित नही किया गया कि उपरोक्त वर्णित भूमि वाके चक 46 आर बी बी के मुरब्बा न0 7 में बैरागी समाज की शमशान घाट है जबकि उन्होने अपनी जांच रिपोर्ट की चरण संख्या 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मुरब्बा न0 7 में गांव की सभी सुविधाएं यथा पंचायत घर, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद औषधालय, विद्युत विभाग का जी एस एस, जल उपभोक्ता संगम का कार्यालय, ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय बना हुआ है। यदि मौका पर इस मुरब्बा न0 7 के किला न0 10 व 11 में बैरागी समाज की शमशान घाट होती तो यह भी रिपोर्ट में आता। इस तथ्य से यह प्रमाणित है कि उक्त जांच रिपोर्ट, जो दिनांक 28.10.2024 को जिला परिषद् श्रीगंगानगर कार्यालय में प्रस्तुत की गई, उससे पूर्व बैरागी समाज की कोई शमशान घाट स्थित नही थी। यहां यह अंकित करना भी आवश्यक है कि राजस्व पटवारी हल्का छोटूलाल मीणा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि मुरब्बा न0 7, जिस पर वर्तमान में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आबादी बसी हुई है। इन तथ्यों से यह प्रमाणित है कि निगरानीकर्ता द्वारा जो तथाकथित पट्टा प्रस्तुत किया गया है, वह एक कूटरचित दस्तावेज है। यदि वह पट्टा पंचायत द्वारा जारी किया हुआ होता तो आवश्यक रूप से पंचायत के रिकार्ड में भी उसका इन्द्रजात होता, जो रिकार्ड न होना इस तथ्य का प्रमाण है कि पटटा पंचायत द्वारा जारी नही किया गया है और ऐसे कूटरचित पट्टे के आधार पर निगरानीकर्ता को कोई अधिकार हासिल नही होते और न ही निगरानीकर्ता ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। जैसा कि सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2003 (Raj.) Page 283 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध लाभ उठाने की अनुमति नही दी जा सकती। इसी प्रकार से D.N.J. 2014 (3) Raj. Page 1280 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का सम्पति में कोई हित ही नही है तो उसे उस सम्पति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही है और यदि कोई आदेश कपटपूर्वक प्राप्त ही कर लिया है तो उसे भी लगातार बनाए रखने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

अतः लिखित बहस गैर–निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि हस्तगत निगरानी चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 व 20 कुल दो बीघा में स्थित शमशान भूमि का वर्ष 1981/17.10.1981 को बने पट्टा के विरूद्व एवं गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ता 7 के नाम जारी पट्टों के विरूद्व पेश की है। बैरागी शमशान भूमि के पट्टा पर श्री नत्थूराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा 46 आर.बी. के हस्ताक्षर है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्व पेश की गई थी। गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 3 ता 7 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद में पक्षकार बने है। निगरागरीकर्तागण का यह कथन है कि चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 व 20 कुल दो बीघा में स्थित शमशान भूमि का वर्ष 1981/17.10.1981 में पट्टा श्री नत्थूराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा 46 आर.बी. के हस्ताक्षर से जारी है, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ श्री नत्थूराम पूर्व सरपंच का शपथ पत्र पेश किया है। ग्राम पंचातय द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड (**कार्यवाही रजि0 वर्ष 01.05.1979 से 17.11.1981**) का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर किसी भी पंचायत मिटिंग/कार्यवाही में कोई कार्यवाही उक्त पट्टा से सम्बन्धित होना नहीं पाई गई है जिससे उक्त विवादित पट्टा सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा बैरागी शमशान भूमि के नाम आवंटित पट्टा दिनांक 17.10.1981 (जो सन्देहास्पद है) को निरस्त करवाये बिना मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 व 20 में आवंटन के लिये पुनः नक्शा तैयार किया गया है, (**जो न तो ग्राम पंचातय से**

अपर जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित है और ना ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से और ना ही सम्बन्धित अर्थोरिटी से) ग्राम पंचायत उक्त नक्शा के आधार ऐसा आवंटन करने के लिये अधिकृत नहीं थी फिर भी ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या– 3 ता 7 के पक्ष में दिनांक 28.10.2007 व दिनांक 05.08.2009 को आवंटन किया जो नियम विरूद्व किया गया है। दिनांक 18.10.2007 को अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से अहाता संख्या–88 साईज 45X27 फुट व दिनांक 28.10.2007 को मुरब्बा नम्बर 7 में अप्रार्थी संख्या–3 के पति मृतक ओमप्रकाश को अहाता संख्या 87, आवंटित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के पक्ष में चक 46 आर.बी.(बी) के मुरब्बा नम्बर 7 में आवंटित अहाता संख्या 117, 118, 119, 120 एक ही व्यक्ति के परिवार को एक ही समय में दिनांक 05.08.2009 को आवंटित किया गया है, उक्त दोहरा आवंटन पंचायत राज0 अधिनियम 1994 पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि पट्टा बुक वर्ष 2009 की कम संख्या 1 ता 4 में वर्ष 2009 में काटे गये पट्टे है व कम संख्या 5 से 14 वर्ष 2008 में व कम संख्या 15 ता 19 2009 में काटे गये है, जिन पर कटिंग की जाकर वर्ष 2008 किया गया है व कम संख्या 20 ता 31 तक वर्ष 2009 में व कम संख्या 32 से 33 वर्ष 2008 व कम संख्या 34 ता 38 वर्ष 2009 व कम संख्या 39 ता 50 वर्ष 2008 में काटे गये है। बैरागी शमशान घाट के नाम से जारी पट्टा एवं गैरनिगरानीकर्तागण के नाम से जारी पट्टे मुरब्बा नम्बर 07 में काटे गये है, रिकॉर्ड में उपलब्ध हल्का पटवारी राजपुरा की रिपोर्ट अनुसार मुरब्बा नम्बृर 07 राजस्व रिकॉर्ड में जोहड पायतन के नाम दर्ज है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पमदपुर को विस्तृत जांच अपने स्तर पर कमेटी गठित कर करवाई जानी चाहिए। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित बैरागी शमशान घाट के नाम से जारी पट्टा एवं गैरनिगरानीकर्तागण के नाम से जारी पट्टे सही है या नहीं की पुनः विस्तृत जांच अपने स्तर कमेटी गठित कर दोनो पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए करवाई जावें एवं जब तक विस्तृत जांच विचाराधीन रहें तब तक दोनो पक्षकारान मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे एवं निर्णय की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति, पदमपुर को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुभाष कुमार)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner